

सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हेतु समितियाँ

1964. श्री राज मोहिन्दर सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गत वर्षों के दौरान सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हेतु सिफारिशें तथा सुझाव देने के लिए दो समितियाँ, अर्थात् सैकिया समिति और मजूमदार समिति गठित की थीं;

(ख) यदि हां, तो ये समितियाँ कब-कब गठित की गई थीं;

(ग) क्या उपरोक्त समितियों ने सरकार को अपने अपने प्रतिवेदन सौंप दिए हैं; और

यदि हां, तो दोनों समितियों द्वारा की गई समान तथा भिन्न सिफारिशें/सुझाव क्या-क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) शिक्षा विभाग ने बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने तथा इस मौलिक अधिकार को लागू करने की दिशा में उचित संविधिक उपायों का सुझाव देने के लिए संविधान में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव की जांच करने और प्रस्ताव के अन्तर्निहित कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय पहलुओं पर विचार करने के लिए तत्कालीन मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री मुहरी राम सैकिया की अध्यक्षता में दिनांक 29 अगस्त, 1996 को मंत्रियों की एक समिति गठित की थी।

समिति ने जनवरी, 1997 में सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की थीं:

(i) 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार तथा बच्चों के माता-पिता को शैक्षिक अवसर प्रदान करने को मौलिक कर्तव्य बनाने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया जाए।

(ii) राज्य प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन को लागू करने के लिए अपने मौजूदा कानून में संशोधन करें अथवा नया कानून बनाएं।

(iii) स्कूली शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यतः पांच वर्षों की अवधि के लिए 40,000 करोड़ रु० की अतिरिक्त निधियों की जरूरत पड़ेगी।

(iv) शिक्षा विभाग ऐसे विशेषज्ञों को अतिरिक्त निधियों के लिए संभावित स्रोतों का भी निर्धारण कर सकते हैं, से परामर्श करके इन अनुमानों का गहराई से अध्ययन करें।

सैकिया समिति को उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसरण में, इस विभाग ने अनिवार्य शिक्षा संबंधी प्रस्तावित कानून के संदर्भ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मौजूदा वित्तीय आवश्यकताओं का अभिनिर्धारण करने, अतिरिक्त संसाधन जुटाने संबंधी उपायों का सुझाव देने, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच उचित अंशदान की व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए दिनांक 18 जून, 1997 को एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था।

प्रो० तापस मजूमदार की अध्यक्षता वाले दल ने सरकार को फरवरी, 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। दल की प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित थी:

(i) प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनिक किए जाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए दस वर्षों की अवधि के लिए 136,822 करोड़ रु० की अनुमानित राशि की अतिरिक्त आवश्यकता।

(ii) सही मायने में इस अवधि में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धिदर मानकर, सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के लिए सरकारी आवंटनों में वृद्धि करना।

(iii) कर राजस्व में वृद्धि, गैर-कर राजस्व में बढ़ोतरी, शिक्षा के सरकारी व्यय के ढांचा निर्माण के जरिए प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनिक किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करना।

Financial crisis in Central Schools

1965. DR. C. NARAYANA REDDY : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that central schools are facing a severe financial crisis;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what steps are being taken to improve condition of teachers?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI) : (a) to (c)

No, Sir. Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has been provided with adequate grants in Revised Budget Estimates 1998-99 under Non-Plan to take care of essential expenditure for the financial year 1998-99. In addition, grants under Plan have been substantially increased during 1998-99 as compared to previous years despite serious resource constraints.

The Sangathan has already implemented the recommendations of Fifth Pay Commission for grant of revised scales of pay to teachers. Eligible Yoga teachers have also been given TGT scales of pay on fulfilment of prescribed conditions. Promotion quota for teachers has been revised from 33⅓% to 50%. Staff quarters are also under construction.

UNICEF report about illiteracy in India

1966. SHRI AKHILESH DAS:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJUBHAI A.
PARMAR:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention was drawn to the UNICEF report "State of the World's children-1999" concluding that by the turn of the century i.e. 2000 A.D. India would be the world's most illiterate nation;

(b) if yes, the percentage of illiterates in the country at present and at the end of 2000 as per UNICEF report; and how these figures compare with National Sample Survey's latest report; and

(c) the main reasons to which the highest percentage of illiterate is attributable and the steps being taken to improve the situation?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI) : (a) Yes, Sir.

(b) In the said report, the percentage of adult illiterates in the country has been

started to be 34% Male and 62% Female during the year 1995. No specific projected figures of adult illiterates in the country at the end of 2000 has been reported. The UNICEF report on "The State of the World's Children 1999" is a book about the right of the child to education. The references to literacy in the document are incidental and the adult literacy rates indicated in the report are based on the 1991 census data according to which the literacy rate in India was 52.21%. According to the National Sample Survey Organisation, which has recently released the figures of the 53rd round, the literacy rate in the country at the end of 1997 was 62%.

(c) India does not have the highest percentage of illiterates.

Status for women in Indian Society

1967. MISS SAROJ KHAPARDE:
Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the news-item appearing in Hindustan Times, dated the 15th December, 1998, captioned 'Destruction awaits Society which ill-treats its women', the theory based on Mahabharata and other Hindu scriptures, according to a Nepali woman journalist; and

(b) what concrete steps are proposed to achieve the status for women in Indian society?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND THE DEPARTMENT OF WOMAN AND CHILD DEVELOPMENT OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SUSHREE UMA BHARATI) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government is making continuous efforts to raise the status of women in Indian Society. The Constitution of India not only grants equality to women but also empowers the